बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग
आदेश

सं० सं०–17/विविध–01–200/2024   पटना, दिनांक :–   /   /2026

विभागीय अधिसूचना संख्या–1092(17), दिनांक–04.10.2025 की कंडिका–02 (vi) के प्रावधानानुसार बिहार राज्य के राजकीय चिकित्सा महाविद्यालयों से पी०जी०/डिप्लोमा उत्तीर्ण छात्रों को बिहार सरकार द्वारा वित्त पोषित/भारत सरकार द्वारा संचालित चिकित्सा संस्थान यथा–AIIMS, IGIMS, PGI एवं अन्य विशिष्ट एवं महत्वपूर्ण चिकित्सा संस्थानों से सीनियर रेजिडेन्ट/ट्यूटर के टेन्योर अवधि के लिए अनापत्ति प्रमाण–पत्र इस शर्त्त के साथ प्रदान की जा रही है कि, टेन्योर अवधि पूर्व होने के उपरान्त संबंधित चिकित्सक बिहार राज्य के अंतर्गत बॉण्ड आधारित सेवा पूरी करेंगे।

2. पी०जी०/डिप्लोमा उत्तीर्ण छात्र/चिकित्सक, जिस चिकित्सा महाविद्यालय से पी0जी0/डिप्लोमा उत्तीर्ण किये हैं, उस चिकित्सा महाविद्यालय के प्राचार्य अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी द्वारा निर्गत Bonafide Certificate एवं उनके सभी शैक्षणिक प्रमाण–पत्रों आदि की अभिप्रमाणित छायाप्रति संबंधित संस्थान के सीनियर रेजिडेन्ट/ट्यूटर के पद हेतु काउंसलिंग में मान्य होने का उल्लेख अनापत्ति प्रमाण–पत्र में किया जाता है।

3. उक्त के आलोक में संबंधित छात्र/चिकित्सक द्वारा सूचित किया गया है कि AIIMS एवं अन्य संस्थानों द्वारा काउंसलिंग में शैक्षणिक मूल प्रमाण–पत्रों की माँग की जा रही है।

4. अतः सम्यक् विचारोपरान्त प्रथम श्रेणी दण्डाधिकारी के स्तर से निर्गत इस आशय का शपथ–पत्र, संबंधित चिकित्सक प्रस्तुत करेंगे कि सीनियर रेजिडेन्सी/ट्यूटरशिप पूरी करने के उपरान्त बंध–पत्र (Bond) के अनुसार राज्य में 02 (दो) वर्षो की अनिवार्य सेवा देंगे, के आधार पर, बिहार सरकार द्वारा वित्त पोषित/भारत सरकार द्वारा संचालित चिकित्सा संस्थान यथा–AIIMS, IGIMS, PGI एवं अन्य विशिष्ट एवं महत्वपूर्ण चिकित्सा संस्थानों से सीनियर रेजिडेन्सी/ट्यूटरशिप करने वाले ऐसे छात्रों को सभी मूल प्रमाण–पत्र वापस करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

5. संबंधित चिकित्सा संस्थान के प्राचार्य/अधीक्षक उपर्युक्त आदेश में निहित शर्त्तो के आलोक में संबंधित छात्र/चिकित्सक से सीनियर रेजिडेन्सी/ट्यूटरशिप करने हेतु संबंधी संस्थान का साक्ष्य एवं शपथ–पत्र प्राप्त कर सभी मूल प्रमाण–पत्र वापस करना सुनिश्चित करेंगे।

6. प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/–
(रेणु कुमारी)
विशेष कार्य पदाधिकारी।

सं० सं०–17/विविध–01–200/2024 – 105(17)   पटना, दिनांक :– 22/01/2026

प्रतिलिपिः– सभी संबंधित प्राचार्य/अधीक्षक, संबंधित चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, बिहार/सभी संबंधित सिविल सर्जन, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– राजकीय चिकित्सा महाविद्यालयों से पी०जी०/डिप्लोमा उत्तीर्ण छात्रों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– माननीय मंत्री के आप्त सचिव/सचिव, स्वास्थ्य के प्रधान आप्त सचिव/विशेष सचिव, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–01, 02, 03 एवं 09, स्वास्थ्य विभाग को सूचनार्थ प्रेशित।

प्रतिलिपिः– आई0 टी0 मैनेजर/प्रोग्रामर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर प्रकाशन हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

Renu Kumari

विशेष कार्य पदाधिकारी।

Estt/D/Manjit ji/Aadesh